

## ‘घुमन्तू जनजातियों में बंजारा जनजातिका सामाजिक एवं अभिक्षेत्रिय अध्ययन’

डॉ. संदीप रुपरावजी मसराम

साहाय्यक प्राध्यापक - भूगोल

वसंतराव नाईक शासकीय कला एवं

समाजविज्ञान संस्था, नागपूर

मोबाईल – ८९८३७१८१३१

ईमेल – [sandip.masram84@gmail.com](mailto:sandip.masram84@gmail.com)

### बीज संज्ञा –

विमुक्त जाती-जमाती, घुमंतू जनजातिया, बंजारा घुमंतू जनजाति I

### प्रस्तावना-

भारत यह सामाजिक विविधताओं का देश है। भारत में सभी समुदाय के लोग अपना जीवन अपने शैली में व्यतीत करते हैं। इन सभी समुदायों की जीवन पद्धति, रीतिया, बोलीभाषा एवं सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मानव के मुख्य बस्ती के बाहर रहकर जंगलों में या मुख्य मानव बस्ती को लगकर बाजू में जनजातिया अपनी बस्ती बनाते हैं। वहा पर उनका स्वतंत्र कानून भी होता है। इनमे से कुछ जनजातिया स्थानांतरण करते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं। उनके साथ संरक्षण तथा उपजीविका के हेतु पशु भी होते हैं। इन जनजातियों को उनके कार्य , भाषा, सभ्यता तथा रहन सहन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विमुक्त तथा घुमंतू जनजातिया प्राचीन भारत से ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक हिस्सा है।

भारतीय समाज के पैतृक और सामाजिक मानदंडों के अनुसार, कुछ जातीय और जनजातिया जो अपराध और खानाबदोश रवैये पर जि रही थी, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में आपराधिक जातियों के रूप में पहचाना गया और आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया। उनके हरकतों पर पुलिस का नियंत्रण था। उन्हें कुछ सीमित बस्तीयो मे पुलिस की निगरानी में रहने के लिए मजबूर किया गया। आवाजाही और रहने पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गये थे। इसलिए, इन जातियों और जनजातियों को स्वतंत्र भारत में विमुक्त के रूप में जाना जाता है।

ब्रिटिश शासन के शुरुवाती दिनों में १७९३ के विनियमन २६ अधिनियम द्वारा कुछ जनजातियों को सरकारी स्तर पर अपराधियों के रूप में पंजीकृत करने और उनके अनुसार व्यवहार करने की प्रथा का प्रावधान लागू किया गया था। १८६० में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। बाद में १८७१ में, आपराधिक जनजाति अधिनियम अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम को १९२४ के आपराधिक जनजाति केंद्रीय अधिनियम में बदल दिया गया। ३१ अगस्त १९५२ को इसे समाप्त कर दिया गया और जिन जातियों और जनजातियों को अभी भी आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता है। उन्हें विमुक्त जाती-जमाती के रूप में जाना जाने लगा।

### अध्ययन के उद्देश –

प्रस्तुत संशोधन पत्र के अध्ययन का उद्देश घुमंतू जनजातियोका अध्ययन करना है। घुमंतू जनजातियों में कई सारी जनजातिया आती है। घुमंतू जनजातियों में प्रमुख बंजारा घुमंतू जनजातिका सामाजिक एवं अभिक्षेत्रिय अध्ययन करना इस संशोधन पत्र का प्रमुख उद्देश है। इस संशोधन पत्र के उद्देश निम्नलिखित है-

१ घुमंतू जनजातियों में प्रमुख बंजारा घुमंतू जनजातिका सामाजिक एवं अभिक्षेत्रिय अध्ययन करना।

२ घुमंतू जनजातियों में बंजारा घुमंतू जनजाति को वर्गीकृत करना।

### संशोधन विधी –

प्रस्तुत संशोधन पत्र के लिए द्वितीयक जानकारी का उपयोग किया गया है। विभिन्न भौगोलिक एवं सामाजिक क़िताबे, संशोधन पत्र, ऑनलाइन जानकारी, अख़बार तथा इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की गई है। घुमंतू जनजातियों में बंजारा घुमंतू जनजाति को वर्गीकृत किया गया है।

### कार्यक्षेत्र –

प्रस्तुत संशोधन पत्र में घुमंतू जनजातियों में प्रमुख बंजारा घुमंतू जनजातिका अभिक्षेत्रिय अध्ययन करना तथा बंजारा घुमंतू जनजाति को वर्गीकृत करना है। भारत में महाराष्ट्र राज्य के बंजारा जनजातिको अध्ययन के लिए चुना गया है। पूरे भारत में बंजारा जनजाति बिखरी हुई है। पूर्व महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बंजारा जनजातिकी जनसंख्या अधिक है। इस प्रदेश को अध्ययन के लिए चुना गया है। इस प्रदेश में बंजारा जनजातिका केन्द्रीकरण अधिक दिखता है। इस प्रदेश के सामाजिक जीवन में बंजारा जनजातिका प्रभाव अधिक दिखता है।

### विश्लेषण –

भारत में प्राचीन काल से ही बोहोत सारी जनजातिया का अस्तित्व विभिन्न प्रदेशों में है। कुछ जनजातिया विशिष्ट प्रदेश में ही रहती है तथा कुछ जनजातिया स्थानांतरण करते रहती है। एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में स्थानांतरण करने वाले जनजातियों को घुमंतू जनजातिया कहा जाता है। बंजारा यह एक महत्वपूर्ण घुमंतू जनजाति है। पूरे भारत में बंजारा बिखरे हुए है।

भारत के कुछ राज्यों में बंजारा जनजाति अनुसूचित जनजाति में और कुछ राज्यों में गैर अनुसूचित खानाबदोश जनजातिया में आती है। भारत में यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्व महाराष्ट्र में बंजारा जनजातिका केन्द्रीकरण हुवा है। विदर्भ एवं मराठवाडा प्रदेश में इनकी जनसंख्या अधिक है। यवतमाल, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर जिले तथा इनसे सटे हुए प्रदेश में बंजारा जनजाति की जनसंख्या अधिक है।

बंजारा जनजाति की कई शाखाए हैं। बंजारा जनजाति को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बंजारा, बंजारी, न्हवी बंजारा, शिंगवाले बंजारा, गोर बंजारा, कचलीवाले बंजारा, लमनी, लम्बाडी, लमन, सुल्केर, मथुरा आदि। स्थल अनुसार इनके रीतिरिवाज, देवता और अंतेष्टि के मध्य कुछ अंतर होता है। इनके मूलस्थान के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती लेकिन वे स्वयं को राजपूत वंश के राणा प्रताप के वंशज एवं मानते हैं। मुघलकाल में यह लोग राजस्थान से दक्षिण की ओर आये ऐसी धारना है। बंजारा जनजाति को उड़ीसा और बिहार में आदिवासियों के रूप में मान्यता नहीं डी गई। अन्यत्र इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में बंजारा जनजाति को घुमंतू तथा विमुक्त जाती का दर्जा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में इन्हें सुगाली, दिल्ली में शिरकिवन, राजस्थान और केरल में गवरिया तथा गुजरात में चारण के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश के सिकंदरशाह ने १५०२ में घोलपुर पर आक्रमण किया था जिसमे बंजारा का पहला उल्लेख मिलता है। एन एफ कांबलीज ने पहली बार जनजाति पर पत्र १८९६ में प्रकाशित किया उनके अनुसार बंजारा की प्रमुख चार उप-प्रजातिया है। जिनमे मथुरिया, लमान, चारण और धाडी महत्वपूर्ण है। इनमे चारण की संख्या अधिक है। बंजारा एवं लवण याने नमक का लाने - ले जाने का काम करने वाले इस क्रिया से उनको लामानी के नाम से जाना जाता होगा। इनमे राठौड़, परमार (पवार), चौहान और जाधव या मुखिया यह चार कुल शामिल है।

हल्का गोरा एवं सावला रंग, उचा कद, मजबूत एवं कसा हुवा शरीर यह बंजारा लोगों की शारीरिक विशेषताए हैं। पुरुष धोती या पतलून के साथ अलग किसम की कमीज पहनते हैं। सर पर लाल रंग की पगड़ी लपेटते हैं। महिलाए लाल रंग का घागरा और चोली पहनते हैं। उसपर काशिदाकारीवाली, आइने के तुकडे वाली भड़कीले रंग की चुनरी ओढ़ते हैं। महिलाओंको जेवर पहनने की और टैटू की लालसा होती है। वे हात में हाथी दंत, सींग या पीतल के कंगन पहनते हैं। तथा वे अपनी बाहू पर वाकी पहनते हैं। यह अलग प्रकारकी चुडिया होती है।

व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय है, अद्यपि वे जंगल पहाड़ों में पाए जाने वाले मौलिक पत्थर, गोंद, शहद आदि को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। बीसवीं सदी में, उनमें से कई ने खेती और श्रम करना शुरू कर दिया है। बंजारा गिरोह मजदूरी के लिए शहरों से झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं। उनमें से कुछ धाड़ी या भट्ट हैं और वे संगीत के पारखी होते हैं। वर्ष के अंत में वे अपने पूर्वजों की स्तुति गीत गाते हुए मौज मस्ती करने के लिए चारणों के बस्ती में जाते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे या बैल के रूप में भुक्तान किया जाता है। ये लोग झोपड़ियों में या अपने तंबू में रहते हैं। कुछ घर साधारण होते हैं। बंजारा लोगो की बोली अलग होती है। बंजारा लोग 'गोलमाटी' बोली बोलते हैं। यह बोली राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषा से प्रभावित है, लेकिन इसमें राजस्थानी मोड़ अधिक है।

बंजारा लोगो को अपनी सात पुस्तों की नाम पत्रिका का ज्ञान होना जरूरी है ऐसा मानना है। बंजारा लोगो के बस्ती को तांडा कहते हैं। हर एक तांडा का एक मुखिया होता है। यह मुखिया का पद उसको विरासत से मिलाता है। मुखिया के सलाह से ही व्यापार किया जाता है। मुखिया उस पूरी बस्ती का न्यायाधीश भी होता है। उनके द्वारा दिया गया न्याय सबको मान्य करना पड़ता है।

बंजारा समाज में एक ही कुल में शादी नहीं हो सकती। शादी की विधि साधारण होती है। चारन तथा लमान उपजातियों में लड़कियों की शादी बड़े होने पर कर दी जाती है। लेकिन दक्षिण में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। बंजारा समाज में भगत का विशेष महत्त्व है। वे चिकित्सा और टोना दोनों का अभ्यास करते हैं। बंजारा लोक दशहरा, दीवाली, होली और गोकुलअष्टमी यह त्यौहार मुख्य रूप से मनाते हैं। बंजारा लोग नृत्य और संगीत से प्यार करते हैं। नगारा, साप एवं मोर नृत्यप्रकार उनमें विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। बंजारा समाज के लोक नृत्य और लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं।

#### निष्कर्ष –

प्रस्तुत संशोधन पत्र के अध्ययन का उद्देश्य घुमंतू जनजातियों का अध्ययन किया गया है। घुमंतू जनजातियों में प्रमुख बंजारा घुमंतू जनजातिका सामाजिक एवं अभिक्षेत्रिय अध्ययन किया गया है। बंजारा समाज अपनी सभ्यता को संभाले रखा है। उनकी बोली भाषा, पोशाख, सामूहिक त्यौहार, एकता यह सब गौरवनीय है। पूर्व महाराष्ट्र में बंजारा जनजातिका केन्द्रीकरण हुआ है। विदर्भ एवं मराठवाडा प्रदेश में इनकी जनसंख्या अधिक है। यवतमाल, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर जिले तथा इनसे सटे हुए प्रदेश में बंजारा जनजाति की जनसंख्या अधिक है। बंजारा जनजाति को बंजारा, बंजारी, न्हवी बंजारा, शिंगवाले बंजारा, गोर बंजारा, कचलीवाले बंजारा, लमनी, लम्बाडी, लमन, सुल्केर, मथुरा आदि प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें राठौड़, परमार (पवार), चौहान और जाधव या मुखिया यह चार कुल हैं।

यह जनजातियां भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। घुमंतू जनजातियों का इतिहास भारत के इतिहास को दर्शाता है। घुमंतू जनजातियों का लिखित इतिहास बोहोत कम उपलब्ध है। वह निसर्ग को पूजते हैं। इन घुमंतू जनजातियों की सभ्यता को संभाले रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

#### संदर्भ -

- 1 Fuchs, Stephen, The Aboriginal Tribes of India, Bombay, 1973
- 2 Government of India, Report of the Backward classes commission, Vol. I, New Delhi, 1982
- 3 Singh K.S. , People of India, Calcutta, 1992
- 4 Russell, R.V. Hira Lal, The Tribes and Castes of The Central Provinces of India, Vol. II, Delhi 1975
- 5 राठौड़ मोतीलाल, बंजारा संस्कृति, औरंगाबा, १९७६
- 6 प्रा. प्रकाश राठौड़, बंजारा समाज, साहित्य आणि संस्कृति, युगसाक्षी प्रकाशन, नागपूर. २०१३
- 7 मराठी विश्वकोष